कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क'
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

*Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand*

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: 391 /42व्यक–सा0/18 दिनांक 16 /02/2018

## कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 220/XXVII(7)/50(16)/2014 टी0सी0 दिनांक 31.10.2017 एवं लो0नि0अनु0–1 के शासनादेश संख्या–1795/III(1)/17–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 टी0सी0–9 दिनांक 07.12.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600.00 (अपुनरीक्षित) के स्थान पर वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन रू 8700(अपुनरीक्षित) में शासनादेश जारी होने की तिथि से उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1455/01लेखा दिनांक 26.12.2017 द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु शासन से दिशा निर्देश प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया था। जिसके कम में शासन द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–15/XXVII (7)50(16)/2014 टी0सी0 दिनांक 24.01.2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन पदधारकों (कनिष्ठ अभियन्ताओं) को दिनांक 31.12.2016 अथवा उक्त तिथि से पूर्व शासनादेश संख्या–770 दिनांक 06.11.2013 के अनुसार तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 प्रोन्नत वेतनमान के रूप में नियमानुसार अनुमन्य किया गया है, मात्र उन्हें ही शासनादेश सं0–10 दिनांक 07.04.2011 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता के पद का उच्चीकृत वेतनमान (ग्रेड वेतन ₹ 8700) का लाभ शासनादेश जारी करने की तिथि से अनुमन्य होगा और तदनुसार उत्तराखण्ड वेतन नियम 2016(समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत नियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उनका वेतन निर्धारित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के आलोक में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार ग्रेड वेतन ₹ 7600 प्राप्त कर रहे पदधारकों एवं तत्समान पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे पदधारक (कनिष्ठ अभियन्ताओं) का दिनांक 31.10.2017 से उच्चीकृत वेतनमान में शासनादेश संख्या–165/XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12.09.2017 द्वारा ग्रेड वेतन 8700 के लिए प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल–13 की कोष्ठिका स्तम्भ–3 के अनुसार वेतन निर्धारण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ह0

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को अधीनस्थों को अपने स्तर से प्रचारित–प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. वित नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार प्रेषित।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
6. आई0टी0 हैड, आई0टी0 प्रकोष्ट, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड पत्रावली।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता